21.04.25 संक्षिप्त में अधिवक्ता अप्रार्थी/प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 2 नियम 2(2) व 3 व आदेश 7 नियम 11 व 11(4) व 151 सीपीसी इस आशय का पेश किया है कि वादिया द्वारा चक 23HMH व 35NM की भूमि में सम्बन्ध में न्यायालय हाजा मे वाद अन्तर्गत धारा 88 RT एक्ट पेश किया गया। पूर्व में भी वादीया हरपाल कौर व अन्य वादीया भूरकौर द्वारा न्यायालय हाजा में 25.6.24 को अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट वाद पेश किया गया था जिसका निर्णय 09.09.24 को कर दिया गया। वादिया ने उक्त वाद कब्जा काश्त व बहिस्सा बराबर के आधार पर प्रस्तुत किया था। वादिया पूर्ववर्ती वाद में भी प्रतिवादीया के विरुद्ध घोषणा का दावा ला सकती थी, लेकिन वे अनुतोष नही चाहा गया। वादीया द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में सभी अनुतोषों के लिये वाद लाने का लोप न्यायालय की इजाजत के बिना किया गया है। इस प्रकार लोप किये गये किसी भी अनुतोष के लिये वादीया द्वारा वाद नहीं लाया जा सकता एवं न ही वादिया को वाद प्रस्तुत करने का कोई वाद कारण हासिल होता है। उक्त वाद आदेश 2 नियम 2(2) व (3) सीपीसी के प्रावधानों से वर्जित है व वादिया पूर्व में भी उक्त अनुतोष को पूर्व वादपत्र में उठा सकती थी लेकिन जानबूझकर पूर्व वाद में

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

उक्त तथ्य को नहीं उठाया गया इसलिये उक्त अनुतोष को पूर्ववाद में निर्णीत माना जायेगा। इसलिये हस्तगत वाद न्याय के सिद्धांत से वर्जित है व उक्त वाद पत्र बिना न्यायालय के इजाजत के दावे के भाग का त्याग, अन्य कोई अनुतोषों में एक के लिये वाद लाने का लोप, पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होने के कारण वादपत्र चलने योग्य नहीं है।

जवाब प्रार्थना-पत्र के अनुसार प्रार्थना पत्र के अभिवचन में स्पष्ट नहीं है किन आधारों प्रावधानों का आधार बनाया गया है, वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद किस आधार पर विधि द्वारा वर्जित है एवं प्रार्थना-पत्र में विरोधाभासी कथन है। हस्तगत वाद पत्र व पूर्ववर्ती वाद-पत्र ~~की~~ विषय-वस्तु में भिन्नता है। वादिया को उक्त वाद में पूर्व निर्णीत वाद/कार्यवाही से भी भिन्न वाद लाने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके आधार पर वादपत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसको पूर्ववर्ती न्याय सिद्धान्तों के आधार पर महरूम नहीं किया जा सकता। वादिया के पास [illegible] प्रस्तुत करने का अधिकार है जो कि Natural Justice है केवल मात्र प्रतिवादिया यह आधार नहीं ले सकती कि वादिया को वादपत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। प्रार्थना-पत्र खारि

Pre-mature होने, विरोधाभासी कथन होने के कारण व विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण काबिल-ए-खारिज है।

पत्रावली में संलग्न पूर्ववर्ती वाद संख्या 315/2024 का अवलोकन किया गया जिसकी चरण संख्या 4 में वादग्रस्त भूमि में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार विशिष्ट भूमि का आधिपत्य वादीया हरपाल कौर द्वारा बताया गया है तत्पश्चात् पूर्ववर्ती वाद में प्रतिवादिया गुरूदेव कौर के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर डिक्री पारित की गई। वादपत्र की चरण संख्या 04 में ही वादिया हरपाल कौर-भूर कौर ने विशिष्ट भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य समझौता के उपरान्त विशिष्ट भूमि वादीगण-प्रतिवादी को प्राप्त होने को कथन किया है एवं इसी अनुसार पूर्ववर्ती वाद में डिक्री पारित कर वादीगण एवं प्रतिवादी को [illegible] भूमि प्राप्त हुई। अब [illegible] में पुनः हरपाल कौर ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 रा. का. अ. के द्वारा पुनः घोषणा चाही है जो कि न्यायोचित प्रतीत

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.05.26 15:25:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी

हुक्म

नहीं होती है अतः प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 2 नियम 2(2) व 3 व आदेश 7 नियम 11 व 11(4) व 15। सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है एवं वाद-पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ